

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-25/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० भूपेन्द्र कुमार मंडल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा द्वारा दिनांक-23.07.2022 से 23.11.2022 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-983(25), दिनांक-08.05.2026 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-23.07.2022 से 01.08.2022 तक	-	कुल-10 (दस) दिन रूपांतरित (कुल-20 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-02.08.2022 से 02.10.2022 तक	-	कुल-62 (बासठ) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक-03.10.2022 से 23.11.2022 तक	-	कुल-52 (बावन) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-25/2026- 16/11/23 पटना, दिनांक 16/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/डा० भूपेन्द्र कुमार मंडल, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7/26
सरकार के उप सचिव